कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय।

पत्रांक................. दिनांक.......................

प्रेषक,

ई0 अमित कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,

मेसर्स जय पदमजा कंसट्रक्शन,
प्रो0–कुमार गौरव,
ग्राम–मटिहानी हाजीपुर,
पोस्ट+थाना–मटिहानी, जिला–बेगूसराय।

विषय :– बेगूसराय जिलान्तर्गत मंडल कारा, बेगूसराय के अंदर मध्य भाग पार्ट–बी0 के परिसर विकास बागवानी एवं लैंड स्केपिंग का कार्य अनावश्यक रूप से लंबित रखने के कारण डिबार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि उक्त कार्य का एकरारनामा(121एफ2 दिनांक–04.10.2019) आपके द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित तिथि 06.06.2020 है। उक्त कार्य के कार्यारंभ की तिथि 07.09.2019 है। विदित है कि उक्त अवधि के दौरान कोरोना काल के दौरान कुछ समय तक कार्य बंद रखने का आदेश था एवं लॉकडाउन के कारण कुछ हद तक कार्य बाधित भी रहा था। पुनः 2021 में कोरोना के कारण हुये लॉकडाउन के कारण भी कार्य कुछ हद तक बाधित रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल में कोरोना काल के दौरान लागू कुछ आवश्यक प्रोटोकॉल के कारण भी कार्य कुछ समय तक बंद रखा गया था। परन्तु कार्यालय के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि आपके द्वारा दिनांक–22.06.2021 तक विषयांकित कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, जबकि जेल प्रशासन द्वारा उस समय कोरोना के कारण कार्यों के कराये जाने पर कोई रोक नहीं था। आपके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–543 दिनांक–22.06.2021 द्वारा पुनः कार्य प्रारंभ करने हेतु निदेशित किया गया। इसके वाबजूद आपके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक–604 दिनांक–15.07.2021 द्वारा स्मारित किया गया एवं अविलंब कार्य प्रारंभ करने हेतु निदेशित किया गया। तद्आलोक में आपके द्वारा कार्य पुनः प्रारंभ किया गया एवं आज की तिथि तक लगभग 45 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है। आपको मौखिक रूप से कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु बार–बार स्मारित किया जाता रहा एवं आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने का अश्वासन भी प्राप्त होता रहा। आपके द्वारा बीच–बीच में कार्य को अनावश्यक रूप से एवं मनमाने ठंग से बंद भी रखा गया। वर्तमान में भी कार्य विगत कई दिनों से बंद है।

उक्त के आलोक में यह प्रतीत होता है कि कोरोना महामारी के कारण कार्यान्वयन में उत्पन्न समस्याओं को अगर ध्यान में रखा जाए, तो भी आपको उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा प्रर्याप्त समय दिया जा चुका है, क्योंकि उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु एकरारनामा के अनुसार मात्र 09 माह का ही समय निर्धारित था। इससे यह स्पष्ट होता है कि विषयांकित कार्य को पूर्ण करने के प्रति आप गंभीर नहीं है एवं कार्य पूर्ण करने के प्रति आपकी कोई अभिरूची नहीं है।

अतः कोरोना माहमारी के मद्देनजर नजर विभाग द्वारा विषयांकित कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रर्याप्त समय देने के वाबजूद भी आज तक कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण आपको अगली विभागीय निविदाओं में भाग लेने से डिबार किया जाता है। निदेशित किया जाता है कि कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर सूचित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, बेगूसराय।

ज्ञापांक :–....................... बेगूसराय, दिनांक................................/

प्रतिलिपि :– श्री अभय कुमार चंदन, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमंडल, सं0–1, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, बेगूसराय।

ज्ञापांक :– 115 बेगूसराय, दिनांक 25/1/2022/

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/01/2022

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, बेगूसराय।

25/1/22